UPBB010079762024

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम), बाराबंकी।

पीठासीन अधिकारी–**(नीतीश कुमार राय)**, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

J.O. Code–UP 6202

सत्र वाद संख्या–1992/2024

उत्तर प्रदेश राज्य...अभियोजन।

बनाम

1. अजय प्रजापति उर्फ भीम आयु करीब 32 वर्ष पुत्र स्व० भारत
2. मनोज प्रजापति आयु करीब 34 वर्ष पुत्र स्व० भारत
3. अनिल प्रजापति आयु करीब 36 वर्ष पुत्र स्व० भारत

निवासीगण उदईमऊ, थाना टिकैतनगर, जिला बाराबंकी।

....अभियुक्तगण।

अपराध संख्या–19/2024

धारा–323, 504, 506 भा.दं.सं.

व धारा–3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(va) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम।

थाना–टिकैतनगर, जिला बाराबंकी।

निर्णय

1– सत्र वाद संख्या–1992/2024, थाना टिकैतनगर, जिला बाराबंकी के मुकदमा अपराध संख्या 19/2024, अंतर्गत धारा 323, 504, 506 भा.दं.सं. व 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(va) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम विरूद्ध अभियुक्तगण अजय प्रजापति उर्फ भीम, मनोज प्रजापति, अनिल प्रजापति के मामले की पत्रावली सत्र सुपुर्द होने के उपरान्त विचारण हेतु अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई।

2– संक्षेप में अभियोजन कथनाक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा धर्मराज द्वारा हस्तलिखित तहरीर प्रदर्श क01 थाना टिकैतनगर में इस आशय की दी गई कि प्रार्थी सीधा साधा अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। दिनांक 18.01.24 को रात्रि 08 बजे मैं अपने घर के बाहर खड़ा था। तभी मेरे गांव के रहने वाले अजय प्रजापति उर्फ भीम पुत्र भारत आये मुझसे गाली देते हुए कहे कि तुम गांव में मेरी शिकायत करते घूमते हो। मैंने गाली देने का विरोध किया तो मुझे लात–घूसों से मारने लगे तब तक भीम के भाई मनोज प्रजापति व अनिल प्रजापति भी आ गये तीनों लोग मुझे जातिसूचक गाली देते हुए जमीन पर पटक–पटक कर लात–घूसो से मारापीटा। मैं चिल्लाने लगा तो तीनों भाई जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। मैं बाराबंकी जाकर अपने डाक्टरी करायी।

3– वादी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत तहरीर के आधार पर थाना टिकैतनगर, बाराबंकी में मुकदमा अपराध सं०–19/2024, अंतर्गत धारा 323, 504, 506 भा.दं.सं. व 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(va) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम अभियुक्तगण अजय प्रजापति उर्फ भीम, मनोज प्रजापति, अनिल प्रजापति के विरूद्ध दर्ज हुआ।

4– अभियोग पंजीकृत होने के उपरान्त संबंधित विवेचक द्वारा इस प्रकरण में विवेचना का कार्य कर संकलित साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण अजय प्रजापति उर्फ भीम, मनोज प्रजापति, अनिल प्रजापति के विरूद्ध धारा 323, 504, 506 भा.दं.सं. व 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(va) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र दाखिल किया गया जिस पर तत्कालीन विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया।

5– अभियुक्तगण अजय प्रजापति उर्फ भीम, मनोज प्रजापति, अनिल प्रजापति के विरूद्ध विचारण योग्य साक्ष्य होने के आधार पर दिनांक 23.01.2025 को अंतर्गत धारा 323, 504, 506 भा.दं.सं. व 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(va) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम में आरोप विरचित किया गया। आरोप पढ़कर अभियुक्तगण को सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया तथा परीक्षण की मांग की।

6– अभियोजन साक्ष्य के अनुक्रम में अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गया–

क्रम संख्या	**अभियोजन साक्षी संख्या**	**साक्षी का नाम**	**अभियोजन कथानक में भूमिका/साक्षी की प्रकृति**
1.	पी०डब्लू०-01	श्री धर्मराज	तथ्य के साक्षी (वादी मुकदमा)
2.	पी०डब्लू०-02	श्रीमती मंजू	तथ्य के साक्षी

7– अभियोजन पक्ष की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रदर्श के रूप में साबित कराया गया है–

क्रम संख्या	**दस्तावेजों का विवरण**	**प्रदर्श संख्या**	**साबितकर्ता**
1.	तहरीर	प्रदर्श क 01	पी०डब्लू० 01- श्री धर्मराज
2.	चिक एफ०आई०आर०	-	बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस प्रपत्र की औपचारिक सत्यता स्वीकार की गई एवं तथ्यों से इंकार किया गया।
3.	नक्शा नजरी	-	बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस प्रपत्र की औपचारिक सत्यता स्वीकार की गई एवं तथ्यों से इंकार किया गया।

4.	आरोप पत्र	-	बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस प्रपत्र की औपचारिक सत्यता स्वीकार की गई एवं तथ्यों से इंकार किया गया।
5.	आघात आख्या धर्मराज	-	बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इन प्रपत्रों की औपचारिक सत्यता स्वीकार की गई एवं तथ्यों से इंकार किया गया।
6.	कायमी जी०डी०	-	बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस प्रपत्र की औपचारिक सत्यता स्वीकार की गई एवं तथ्यों से इंकार किया गया।

8– अभियोजन साक्ष्य के पूर्ण होने के पश्चात् अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया जिसमें उन्होंने अभियोजन कथानक के उत्तर में लोगों के बहकावे में आकर रंजिशन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का कथन किया एवं पी०डब्लू० 01 व पी०डब्लू० 02 के बयान के उत्तर में कुछ नहीं का कथन किया तथा बचाव पक्ष द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की सत्यता स्वीकार करने से संबंधित प्रश्न सं० 04 में भी कुछ नहीं का कथन किया। मुकदमा उनके विरूद्ध रंजिशन व फर्जी चलने का कथन किया एवं प्रतिरक्षा में साक्ष्य नहीं प्रस्तुत करने का कथन करते हुए अतिरिक्त कथन में भी कुछ नहीं कहा।

9– बचाव पक्ष द्वारा अपने समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

मौखिक साक्ष्य अभियोजन

10– अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू० 1** श्री धर्मराज ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि घटना करीब एक साल पहले की है। मैं अपने घर के बाहर खड़ा था। रात का समय था। तभी अजय प्रजापति आये और मुझसे कहा कि गांव में तुम मेरी शिकायत करते हो। इसी बात पर मेरी उनसे कहा सुनी होने लगी और काफी भीड़ इकट्ठा हो गयी। उसी में किसी ने मुझे धक्का दे दिया और मैं जमीन पर गिर गया जिससे मुझे चोटें आ गयी। लोगों के कहने पर मैंने एक व्यक्ति से प्रार्थना पत्र लिखाकर और अपने हस्ताक्षर बनाकर थाने पर प्रार्थना पत्र दिया था। लिखने वाले ने मुझे पढ़कर नहीं सुनाया था। शामिल पत्रावली कागज सं० अ 12 को देखकर गवाह ने कहा कि यह वही प्रार्थना पत्र है जो मैंने थाने पर दिया था। इस पर बने हस्ताक्षर मेरे है जिस पर प्रदर्श क 01 डाला गया। अंधेरा होने की वजह से मैंने अजय प्रजापति उर्फ भीम, मनोज प्रजापति व अनिल प्रजापति को मारते पीटते व जातिसूचक गालियां देते हुए नहीं देखा सुना। सी०ओ० साहब ने मुझसे घटना के बारे में कोई पूछताछ नहीं की थी।

गवाह को पक्षद्रोही घोषित करते हुए विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा दौरान प्रतिपरीक्षा उसका बयान 161 दं०प्र०सं० पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि मैंने सी०ओ० साहब को ऐसा कोई बयान नहीं दिया कैसे लिख लिया मैं नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि मुल्जिमानों से मिल जाने के कारण उन्हें बचाने के लिए न्यायालय पर सही बात नहीं बता रहा हूँ।

यह कहना गलत है कि मैंने मुल्जिमान से कोई अनुचित लाभ प्राप्त किया हो। यह कहना सही है कि मुल्जिमान से मेरी सुलह हो गयी है। यह भी कहना सही है कि सरकार से मुझे 75 हजार रूपये मिले है।

बचाव पक्ष द्वारा इस साक्षी से कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की गई।

11– अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू० 2** श्रीमती मंजू ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि घटना करीब 01 वर्ष पहले की है। समय करीब रात के करीब 08–09 बजे की बात है। मैं घर पर खाना बना रही थी। रात का समय था। मैंने बाहर शोर सुना। बाहर गयी तो देखा कि वहां काफी भीड़ लगी थी। रात का समय था। मैंने मुल्जिमान अजय प्रजापति उर्फ भीम व मनोज प्रजापति व अनिल प्रजापति पुत्रगण भारत को वादी मुकदमा धर्मराज को मारते पीटते व जातिसूचक गालियां देते हुए व जान से मारने की धमकी देते हुए नहीं देखा सुना। मौके पर अंधेरा था। मौके पर सा०ओ० साहब ने मुझसे कोई पूछताछ नहीं की थी।

गवाह को पक्षद्रोही घोषित करते हुए विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा दौरान प्रतिपरीक्षा उसका बयान 161 दं०प्र०सं० पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि मैंने सी०ओ० साहब को ऐसा कोई बयान नहीं दिया कैसे लिख लिया मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकती। यह कहना गलत है कि मैं मुल्जिमान से मिल गई हूँ और उनको बचाने के लिए न्यायालय पर सही बात नहीं बता रही हूँ। यह भी कहना गलत है कि मुल्जिमान से कोई अनुचित लाभ प्राप्त किया हो जिस कारण न्यायालय पर सही बात नहीं बता रही हूँ।

बचाव पक्ष द्वारा इस साक्षी से कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की गई।

12– अभियोजन पक्ष द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा अनुसूचित जाति के वादी मुकदमा को लोक स्थान पर अपमानित करने के आशय से जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली गलौज दिया गया एवं मारापीटा गया तथा उसे जान से मारने की धमकी दी गई। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अभियुक्तगण दोषसिद्ध किए जाने योग्य है।

13– इसके विपरीत बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा अभियोगी के लिए किसी जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली गलौज नहीं दिया गया और न ही उसे मारापीटा गया या जान से मारने की धमकी दी गई। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण द्वारा कथित घटना का समर्थन नहीं किया गया है। अभियुक्तगण को रंजिशन एवं झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण निर्दोष है, दोषमुक्त किए जाने योग्य हैं।

14– मैने अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन पक्ष के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन किया।

अवधार्य बिन्दु

15– न्यायालय को अब यह अवधारित करना है कि क्या अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण के विरूद्ध यह आरोप साबित करने में सफल रहा है कि दिनांक 18.01.2024 को समय करीब 08.00 बजे रात्रि, स्थान बहद ग्राम उदईमऊ, अंतर्गत थाना टिकैतनगर, जिला बाराबंकी में अनुसूचित जाति के वादी मुकदमा

धर्मराज को लोक स्थान पर अपमानित करने के आशय से जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली–गलौज दिया गया एवं मारापीट कर उपहति कारित करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई?

न्यायिक निष्कर्ष

16– उपरोक्त के संदर्भ मे मैंने सर्वप्रथम वादी मुकदमा द्वारा दी गयी तहरीर प्रदर्श क–1 का परिशीलन किया जिसमें अंकित है कि दिनांक 18.01.24 को रात्रि 08 बजे मैं अपने घर के बाहर खड़ा था। तभी मेरे गांव के रहने वाले अजय प्रजापति उर्फ भीम पुत्र भारत आये मुझसे गाली देते हुए कहे कि तुम गांव में मेरी शिकायत करते घूमते हो। मैंने गाली देने का विरोध किया तो मुझे लात–घूसों से मारने लगे तब तक भीम के भाई मनोज प्रजापति व अनिल प्रजापति भी आ गये तीनों लोग मुझे जातिसूचक गाली देते हुए जमीन पर पटक–पटक कर लात–घूसो से मारापीटा। मैं चिल्लाने लगा तो तीनों भाई जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। मैं बाराबंकी जाकर अपने डाक्टरी करायी।

चूंकि घटनाक्रम एक ही स्थान, समय व तथ्यों से संबंधित है तब ऐसी स्थिति में समस्त धाराओं में निष्कर्ष एक साथ दिया जा रहा है।

17– वादी द्वारा दी गई तहरीर में किए गए कथनों की सम्पुष्टि के लिए मैंने अभियोजन द्वारा परीक्षित अभियोजन साक्षी वादी मुकदमा पी०डब्लू०–1 श्री धर्मराज के बयान का परिशीलन किया जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में हस्तलिखित तहरीर कागज सं० अ 12 को देखकर अपने हस्ताक्षर को प्रमाणित करते हुए प्रदर्श क 01 के रूप में साबित किया है, तथा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना करीब एक साल पहले की है। मैं अपने घर के बाहर खड़ा था। रात का समय था। तभी अजय प्रजापति आये और मुझसे कहा कि गांव में तुम मेरी शिकायत करते हो। इसी बात पर मेरी उनसे कहा सुनी होने लगी और काफी भीड़ इकट्ठा हो गयी। उसी में किसी ने मुझे धक्का दे दिया और मैं जमीन पर गिर गया जिससे मुझे चोटें आ गयी। लोगों के कहने पर मैंने एक व्यक्ति से प्रार्थना पत्र लिखाकर और अपने हस्ताक्षर बनाकर थाने पर प्रार्थना पत्र दिया था। लिखने वाले ने मुझे पढ़कर नहीं सुनाया था। अंधेरा होने की वजह से मैंने अजय प्रजापति उर्फ भीम, मनोज प्रजापति व अनिल प्रजापति को मारते पीटते व जातिसूचक गालियां देते हुए नहीं देखा सुना।

18– साक्षी जो कि कथित घटना का वादी मुकदमा एवं चोटहिल भी है जिसका मेडिकल प्रपत्र अ 14 शामिल पत्रावली है जिसमें उसे एक दृश्यमान चोट आना अंकित है जिसे सामान्य प्रकृति की एवं एक से दो सप्ताह पूर्व की होना बताया गया है चूंकि घटना दिनांक 18.01.2024 की है एवं मेडिकल प्रपत्र 27.01.2024 का है। परन्तु यहां यह तथ्य अधिक महत्वपूर्ण है कि क्या वादी मुकदमा को आई चोट अभियुक्तगण द्वारा मारने पीटने से आई है अथवा नहीं, जिसके संबंध में स्वयं वादी मुकदमा द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि रात का समय था। अभियुक्त अजय प्रजापति से उसकी कहा सुनी होने पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गयी और उसी में से किसी ने उसे धक्का दे दिया और वह जमीन पर गिर गया जिससे उसे चोटें आ गयी जिससे स्पष्ट है कि वादी मुकदमा को चोटे गिरने से आई थी तथा जहां तक प्रश्न अभियुक्तगण का प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद होने का है तो उसके संबंध में

वादी मुकदमा द्वारा कथन किया गया कि लोगों के कहने पर उसने एक व्यक्ति से प्रार्थना पत्र लिखाकर अपने हस्ताक्षर बनाकर थाने पर दे दिया जिसे लिखने वाले ने उसे पढ़कर नहीं सुनाया था तथा यह भी स्पष्ट रूप से कथन किया कि अंधेरा होने की वजह से उसने अभियुक्तगण को मारते पीटते व जातिसूचक गालियां देते हुए नहीं देखा सुना। इस प्रकार वादी मुकदमा जिसके साथ कथित घटना घटित हुई थी ने अभियोजन कथानक का कोई समर्थन अपने बयान में नहीं किया एवं थाने पर दी गई तहरीर के विपरीत विरोधाभासी कथन किया है।

19– इसी क्रम में मैने पी०डब्लू०–2 श्रीमती मंजू के बयान का परिशीलन किया जिन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि समय करीब रात के करीब 08–09 बजे की बात है। मैं घर पर खाना बना रही थी। रात का समय था। मैंने बाहर शोर सुना। बाहर गयी तो देखा कि वहां काफी भीड़ लगी थी। रात का समय था। मैंने मुल्जिमान अजय प्रजापति उर्फ भीम व मनोज प्रजापति व अनिल प्रजापति पुत्रगण भारत को वादी मुकदमा धर्मराज को मारते पीटते व जातिसूचक गालियां देते हुए व जान से मारने की धमकी देते हुए नहीं देखा सुना। मौके पर अंधेरा था। एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा दौरान प्रतिपरीक्षा गवाह को उसका बयान 161 दं०प्र०सं० पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि मैंने सी०ओ० साहब को ऐसा कोई बयान नहीं दिया, कैसे लिख लिया मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकती।

20– उक्त साक्षी का बयान अंतर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० शामिल केस डायरी है जिसमें उसने अभियुक्तगण द्वारा कथित मारपीट आदि की घटना कारित करने का समर्थन किया है परन्तु न्यायालय के समक्ष दिये गये उपरोक्त बयान में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि रात का समय था। उसने बाहर शोर सुना तब वह बाहर गयी तो देखा कि वहां काफी भीड़ लगी थी परन्तु उसने मुल्जिमानों को वादी मुकदमा धर्मराज को मारते पीटते व जातिसूचक गालियां देते व जान से मारने की धमकी देते हुए नहीं देखा सुना चूंकि मौके पर अंधेरा था। इस प्रकार न्यायालय के समक्ष गवाही देते समय इस साक्षी ने वादी मुकदमा को अभियुक्तगण द्वारा मारने पीटने आदि की घटना का समर्थन नहीं किया है।

21– उल्लिखित तथ्यों, परिस्थितियों व उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा श्री धर्मराज को को लोक स्थान पर अपमानित करने के आशय से जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली–गलौज देने एवं मारापीट कर उपहति कारित करने तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप समस्त सन्देह से परे साबित नहीं होता है। अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षी वादी मुकदमा पी०डब्लू० 1 धर्मराज एवं पी०डब्लू० 2 श्रीमती मंजू ने न्यायालय के समक्ष दिये गये अपने बयानों में अभियुक्तगण द्वारा कथित गाली–गलौज, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी देने की घटना कारित करने का कोई समर्थन नहीं किया है। उनके बयानों से ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है, जो अभियोजन कथानक को बल प्रदान करता हो। वादी मुकदमा पी०डब्लू० 01 जिसके साथ घटना घटित हुई थी ने

अभियोजन कथानक के विपरीत विरोधाभासी कथन करते हुए स्वयं को आई चोटे भीड़ में धक्का लगने से गिरने के कारण आना बताया है।

22– उपरोक्त वर्णित तथ्य एवं परिस्थितियों तथा साक्ष्य के विवेचनोपरान्त न्यायालय इस मत की है कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्तगण अजय प्रजापति उर्फ भीम, मनोज प्रजापति, अनिल प्रजापति के विरूद्ध धारा 323, 504, 506 भा.दं.सं. व 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(va) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का आरोप युक्ति युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण उक्त आरोपो से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

23– मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों से स्पष्ट दर्शित होता है कि वादी मुकदमा श्री धर्मराज जिन्हें इस अभियोग में बतौर पी०डब्लू० 01 परीक्षित कराया गया है जिसमें उन्होंने थाने पर दी गई तहरीर के विरूद्ध कथन किया है जिससे स्पष्ट है कि वादी मुकदमा द्वारा जानबूझकर मिथ्या साक्ष्य गढ़ा गया। अतः ऐसी स्थिति में वादी मुकदमा श्री धर्मराज के विरूद्ध अंतर्गत धारा 383 बी०एन०एस०एस० में पृथक से प्रकीर्ण दांडिक वाद दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

सत्र परीक्षण संख्या–1992/2024, थाना टिकैतनगर, जनपद बाराबंकी का मुकदमा अपराध संख्या–19/2024 से संबंधित अभियुक्तगण अजय प्रजापति उर्फ भीम, मनोज प्रजापति एवं अनिल प्रजापति को धारा 323, 504, 506 भा.दं.सं. व 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(va) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर हैं। उनके जमानतनामें एवं प्रतिभू बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मुक्त किया जाता है।

धारा 365 दं०प्र०सं०/406 बी०एन०एस०एस० के तहत निर्णय की प्रति जिला मजिस्ट्रेट बाराबंकी को प्रेषित किया जाए।

अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा धारा 437A दण्ड प्रक्रिया संहिता/481 बी०एन०एस०एस० के अनुपालन में **रूपये 20,000/–(बीस हजार)** का व्यक्तिगत बंधपत्र आज ही दाखिल किया जायें। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध अपील संस्थित किये जाने की स्थिति में अभियुक्तगण का माननीय अपीलीय न्यायालय में उपस्थित होने का दायित्व होगा।

वादी मुकदमा श्री धर्मराज पुत्र श्री शीतल रावत के विरूद्ध धारा– 383 बी०एन०एस०एस० के अंतर्गत अलग से प्रकीर्ण वाद दर्ज किया जावे।

(नीतीश कुमार राय)
(JO Code–UP 6202)
विशेष न्यायाधीश (अनु० जाति/अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम), बाराबंकी।

दिनांक–03.04.2026

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

(नीतीश कुमार राय)
(JO Code–UP 6202)
विशेष न्यायाधीश (अनु० जाति/अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम), बाराबंकी।

दिनांक– 03.04.2026